कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
जल निस्सरण प्रमंडल,सीतामढ़ी।

(E-Mail : eeddswrd@gmail.com)

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अल्पकालीन पुनर्कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या–02/2026–27

कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी, जल निस्सरण प्रमंडल सीतामढ़ी हेतु तटबंध निरीक्षण कार्य, संपोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/उच्चाधिकारियों की बैठकों में भाग लेने इत्यादि कार्यो हेतु (अवातानुकूलित बोलेरो/सुमो/स्कॉर्पियो समतुल्य उच्चतर वाहन मॉडल) वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक–15–09/20 992, दिनांक 30.10.2024 द्वारा निर्धारित भाड़ा अथवा निर्धारित दर से कम दर पर भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है:–

1 कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम:–कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल सीतामढ़ी।

2 कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय:– दिनांक 15.07.2026 के अपराह्न 03:00 बजे तक।

3 कोटेशन प्राप्ति करने एवं खोलने का स्थान:– कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल सीतामढ़ी।

4 कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय:– दिनांक 15.07.2026 अपराह्न 03:30 बजे

5 कोटेशन की विवरणी:–

Sl. No.	Period	No. of vehicle
01	16.07.2026 to 31.10.2026	02

कोटेशन पर वाहन रखने की शर्तें निम्नवत है:–

1. भाड़े पर वाहन वित्तीय वर्ष 2026–27 अन्तर्गत रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है। वाहन का व्यवसायिक निबंधन अनिवार्य है तथा वाहन का मॉडल वर्ष 2018 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।
2. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही किया जायेगा।
3. सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
4. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैद्य निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।
5. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैद्य ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
6. वाहनों की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होन पर चालक सहित जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।
7. भाड़े पर रखे जाने वाले वाहन प्रतिमाह ईंधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।
8. वाहन के उपयोग के लिए लॉग बुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।
9. वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाने वाला उद्धत दर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा वर्तमान में अनुमोदित दर से अधिक नहीं होगा अथवा न्यूनतम कोटेड दर स्वीकार होगा तथा भुगतान विभाग से आवंटन प्राप्त होने के पश्चात किया जाएगा।
10. वाहन का ईंधन रहित (चालक सहित) प्रतिदिन का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता के अनुसार वाहन की संख्या घटायी या बढ़ायी जा सकती है। एकरारनामा रू0–1000.00 (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा।
11. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गए डीजल अथवा 10 कि०मी० प्रति लीटर में से जो अधिक हो मान्य होगा।

12. वाहन मालिक/फर्म का वैद्य GST एवं पैन कार्ड निबंधन होना अनिवार्य है।
13. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/फर्म द्वारा निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग में नहीं किया जाएगा।
14. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगे, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन का भाड़े का भुगतान दो गुने दर से कटौती कर ली जायेगी।
15. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध होने पर नियमानुसार सभी करों की कटौती के पश्चात् भुगतान की जायेगी।
16. बिना कारण बताए किसी भी समय कोटेशन की प्रक्रिया रोकने/रद्द करने एवं अस्वीकार करने संबंधि निर्णय अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
17. इच्छुक वाहन मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 16 तक के शर्तों को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नॉटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 04, 05 एवं 12 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ अपना कोटेशन दिनांक 15.07.2026 तक कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में बंद लिफाफा में 03:00 बजे अपराह्न तक समर्पित करेंगे, जिसे दिनांक 15.07.2026 के 03:30 बजे अपराह्न में कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी के कार्यालय में खोला जायेगा। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित रहेंगे।
18. सभी वांछित कागजात सही पाये जाने के उपरान्त सामान दर की स्थिति में वैध कोटेशनदाताओं के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया जायेगा। लॉटरी की तिथि एवं समय की सूचना वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ताओं के मोबाईल और ई-मेल के माध्यम से दी जायेगी। वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि लॉटरी के समय उपस्थित रहेंगे अन्यथा इनकी या इनके प्रतिनिधि के अनुपस्थिति में भी लॉटरी किया जाएगा तथा इस संबंध में बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।
19. कोटेशन के साथ क्रमांक 04 एवं 05 तथा 12 के कागजात एवं शपथपत्र नहीं रहने पर इसे अमान्य कर दिया जायेगा।
20. आवश्यकतानुसार वाहन मुख्यालय से बाहर भी जा सकता है एवं रह सकता है। उक्त हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।
21. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के सूचना पट्ट एवं कार्यालय कक्ष में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता
जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी।

पत्रांक 781 / सीतामढ़ी, दिनांक 01.07.2026

प्रतिलिपिः-सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को ई-मेल के माध्यम से राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

01.07.2026
कार्यपालक अभियंता
जल निस्सरण प्रमंडल, सीतामढ़ी।
01.07.2026